रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2016/वैशाख 16, 1938
No. 138] NEW DELHI FRIDAY, MAY 6, 2016/VAISAKHA 16, 1938

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

सार्वजनिक सूचना

मुम्बई, 31 मार्च, 2016

विषय – स्वदेशी विनिर्मित तथा आयातित वस्त्र, यथा पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न के संदर्भ में वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन आदेश,1988 के प्रावधानों को लागू करना ।

सं. 2(91)/2011/विधि-प्रवर्तन.—दि. 07/03/1988 की अधिसूचना सं. सी ई आर (18)/88/ सीएलबी , जिसे वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) , विनियमन, 1988 के नाम से जाना जाता है, जिसमें सभी प्रकार के वस्त्रों के स्टैम्पिंग विनियमन साथ-साथ शामिल हैं, वस्त्र आयुक्त द्वारा (नियंत्रण) आदेश, 1986 की धारा 17 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1986 को बाद में निरस्त कर दिया और समय-समय पर वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया एवं अंतिम आदेश 19/02/2001 को वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 के नाम से जारी किया गया। दि. 21/11/2003 की सार्वजनिक सूचना सं 3/टीडीआरओ/9/2003 द्वारा वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन,1988 में पुन : जीवन संचार किया गया तथा वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 के तहत जारी समझा गया । उक्त वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 भारत में बेचे जाने वाले टॉप्स, यार्न तथा कपडे, चाहे ऐसे वस्त्र भारत में विनिर्मित हैं या आयातित हो, पर वस्त्र उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा की दृष्टी से वैधानिक अंकन निर्धारित करता है । वस्त्र आयुक्त ने दिनांक 22.07.1988 की सार्वजनिक सूचना सं.टीडीआरओ/सीएलबी/98/विविध/1 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन 1988 में विहित प्रावधान, आयातित वस्त्रों पर भी लागू है तथा भारत में आयातित उन वस्त्रों पर भी उसके अन्तर्गत निर्धारित अंकन/स्टैम्पिंग होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त द्वारा दिनांक 16.11.1988

की सार्वजनिक सूचना सं.टीडीआरओ/सीएलबी/ 98/विविध/2 के संदर्भ में इस बात को दोहराया गया था / बल दिया गया था कि भारत में बिकने वाले सभी वस्त्रों पर वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) अधिनियम, 1988 में निर्धारित अंकन होने चाहिये।

2. उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधित) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी दिनांक 12.02.2007 को जारी अधिसूचना सं.एस.ओ/184(ई) के अनुसार पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न अपरिष्कृत पटसन तथा पटसन से बने वस्त्रों को छोडकर सभी वस्त्र मदें आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से हटाये गये हैं। अत: वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) 1988 के प्रावधान अब केवल पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न पर लागू होंगे।

3. दि. 12/02/2007 की अधिसूचना सं. एसओ 184/ (ई) के साथ सपठित तथा आवश्यक वस्तु (संशोधित) अधिनियम 2006 के अंन्तर्गत जारी वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन, 1988 के प्रावधान स्वदेश में विनिर्मित वस्त्र, उसी प्रकार आयातित वस्त्र पर लागू हैं, जैसा कि दिनांक 22.07.1998 एवं 16.11.1998 की सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया गया है। चुंकि उक्त प्रावधान दि. 12/02/2007 की अधिसूचना सं. एस.ओ/184(ई) में निहित वैधानिक प्रावधान , निदेश हैं, विनिर्माताओं, प्रोसेसरों, जिनमें हैंड प्रोसेसर्स, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, अर्ध-थोक विक्रेताओं, दुकान तथा स्थापनधारकों खुदरा विक्रेताओं तथा स्टॉकिस्टों आदि के लिये उक्त अधिसूचना में विहित निदेशों तथा प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वे स्वदेश में विनिर्मित पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न अथवा पूर्णत: रुई से बने आयातित हैंक यार्न से संबंधित हो।

4. वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न पर झूठा या भ्रामक अंकन नहीं किया जाएगा तथा कोई व्यक्ति झूठे या भ्रामक अंकन तथा बिना वैधानिक अंकन की ऐसी वस्तुएँ नही देगा न ही उसका भंडारण करेगा।

5. यह सार्वजनिक सूचना व्यापक रूप में सभी भागधारकों एवं जनता के हित में व विशेषत: हैंक यार्न के सभी उपभोक्ताओं के हित में जारी की गई है, जो पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न का उपयोग करते हैं तथा उन्हें एतदद्वारा पुन: सूचित किया जाता है कि वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन, 1988 के अन्तर्गत कॉटन हैंक यार्न पर किये जानेवाले अंकन निम्नानुसार है –

पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न पर किये जाने वाले अंकन –

विनिर्माता द्वारा पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न पर निम्न अंकन, पेपर लेबल पर किये जाए और कॉटन हैंक यार्न के बंडल/पैकेज पर सुरक्षित रुप से लगाए या चिपकाए जाए।

(क) विनिर्माता का नाम और पता
(ख) शब्द "पूर्णत: रुई से बना हैंक यार्न"
(ग) जहॉ लागू हो वहां फोल्ड एवं प्लाइज समेत यार्न का काउंट (इंग्लिश) ,
(घ) सी एस पी मूल्य
(ङ) कुल भार कि.ग्रा. में
(च) पैकिंग का माह एवं वर्ष

6. चूंकि वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन, 1988 , वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001, की धारा -9, जो आवश्यक वस्तु अधिनिमय, 1955, की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश है, के अन्तर्गत जारी माना जाता है, अत: उक्त अधिसूचना के प्रावधानों एवं निदेशों का पालन न करना अथवा आंशिक पालन करना आवश्यक वस्तु अधिनिमय, 1955 में निहित संबंधित निदेशों तथा प्रावधानों का उल्लंघन /गैर अनुपालन माना जाएगा। अत: पूर्णत: रुई से बने हैंक यार्न जिन पर अधिसूचना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वैधानिक अंकन नहीं है और जिन पर आंशिक/अपूर्ण अंकन, दोषपूर्ण अंकन, भ्रामक अंकन, फर्जी अंकन, नकली अंकन, गलत अंकन, अस्पष्ट अंकन है तथा नकली माल/अंकन (अर्थात उल्लंघन किया हुआ माल/अवैध माल) आवश्यक वस्तु अधिनिमय, 1955 की धारा-3 के प्रावधानों के अनुसार जप्त किया जाएगा, तत्पश्चात, आवश्यक वस्तु

अधिनियम, 1955 की धारा 6-ए के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन किया हुआ माल/अवैध माल को जप्त करने के लिये जिला कलेक्टर को सूचित किया जाएगा । उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये उचित पुलिस प्राधिकारी के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) फाइल की जाएगा ।

7. यह बात सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाती है कि वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय उनके अधिकार क्षेत्र के वस्त्र बाजारों में पूर्णत: रुई से बने आयातित तथा स्वदेशी दोनो हैंक यार्न की आपूर्ति पर कडी निगरानी रखेंगे तथा यदि झूठी/भ्रामक/अभावयुक्त/जाली/नकली मार्किंग युक्त कॉटन हैंक यार्न पाये जाते हैं तो वे बिना किसी पूर्वसूचना उपरोक्त उल्लेखानुसार तुरंत आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

डॉ. कविता गुप्ता, वस्त्र आयुक्त

MINISTRY O F TEXTILES

(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

PUBLIC NOTICE

Mumbai, the 31st March, 2016

Subject: - Enforcement of provisions of the Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988, in respect of indigenously manufactured and imported textiles, namely Hank Yarn made wholly from cotton

No. 2(91)/2011/Legal-Enf.—The notification No.CER (18)/88/CLB dated 7/3/88 called the Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988, which inter-alia includes the stamping regulation of all types of textiles, was issued by the Textile Commissioner in terms of powers vested under Clause 17 of the Textiles (Control) Order, 1986. The said Textiles (Control) Order, 1986, issued under Section 3 of EC Act, 1955, was subsequently repealed & substituted by Textiles (Development & Regulation) Order, from time to time and the last order was issued on 19/12/2001 namely Textiles (Development & Regulation) Order, 2001. Through Public Notice No. 3/TDRO/9/2003 dated 21/11/2003, the Textiles (Consumer Protection) Regulation 1988 was once again brought to life and deemed to have been issued under Textiles (Development & Regulation) Order, 2001. The said Textiles (Development & Regulation) Order, 2001 prescribes the statutory markings required on tops, yarn and cloth that are sold in India, irrespective of whether such textiles are manufactured in India or imported into India, with the objective of safeguarding the interest of the textile consumers. It was also clarified by the Textile Commissioner, vide Public Notice No. TDRO/CLB/98/Misc./1 dated 22. 7.1998, that all the provisions contained in the Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988, are also applicable to the imported textiles and that textiles imported into India should bear all the statutory markings/stampings prescribed there under. Further in terms of the Public Notice No.TDRO/CLB/98/Misc./2 dated 16.11.1998, issued by the Textile Commissioner, it was reiterated/emphasized that all the textiles sold in India should contain/bear the markings prescribed under the Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988.

2. In terms of Notification No. S.O. 184(E) dated 12.02.2007 issued by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India under Essential Commodities (Amendment) Act, 2006, all the textile items except Hank Yarn made wholly from cotton, raw jute & jute textiles have been removed from the purview of Essential Commodities Act. **Hence, the provisions of the Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988, are now applicable only to the Hank Yarn made wholly from cotton.**

3. The provisions of Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988, are read with Notification No. S.O. 184(E) dated 12.02.2007 and issued under Essential Commodities (Amendment) Act 2006 are now applicable to indigenously manufactured textiles as well as imported textiles, as clarified vide public notice dated 22/7/1998 and 16/11/1998. Since these provisions are statutory provisions, directions contained in the said notification No. S.O. 184(E) dated 12.02.2007 are

mandatory on the part of the manufacturers, processors including hand processors, traders, wholesalers, semi-wholesalers, shops and establishment holders, retailers and stockiest, etc. to comply with the provisions, irrespective of whether they deal with indigenously manufactured Hank Yarn made wholly from cotton/or with imported Hank Yarn made wholly from cotton.

4. As per the provisions of Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988, no fake or misleading markings shall be made on Hank Yarn made wholly from cotton, and no person shall offer or store for sale such goods with fake or misleading markings or without the statutory markings.

5. This public notice is issued for the benefit of all stakeholders and for the public at large and in particular for the benefit of all consumers of Hank Yarn who consume hank yarn which is made wholly from cotton and they are hereby informed again that the marking regulation for hank yarn made wholly from cotton under Textiles (Consumer Protection) Regulation, 1988 are as under:

MARKINGS TO BE MADE ON HANK YARN MADE WHOLLY FROM COTTON:-

The following markings shall be made on Hank Yarn made wholly from cotton by the manufacturers, on paper label securely pasted or attached to the bundle/package of cotton Hank Yarn:

(a) Name and address of the manufacturer.
(b) The words "Hank Yarn made wholly from Cotton"
(c) Count of yarn in English, count along with fold and 'plies wherever applicable.
(d) C.S.P. value.
(e) Net weight in Kg.
(f) Month and Year of packing.

6. Since the Textile (Consumer Protection) Regulation, 1988, is deemed to have been issued under clause -9 of the Textile (Development & Regulation) Order, 2001, which was an order issued under Section-3 of the Essential Commodities Act, 1955, therefore any violations or non-compliance or partial compliance of the provisions and directions in the said notification amount to the violation/contravention/ non-compliance of the relevant provisions and directions contained in the Essential Commodities Act,1955. Therefore, Hank Yarn made wholly from Cotton, which do not contain the statutory marking specified in the said notification and which contain partial/incomplete markings, defective markings, misleading markings, fake markings, spurious markings, incorrect markings, illegible markings and counterfeit goods/markings (i.e. contravened goods/offended goods) shall be seized at once in terms of the provisions of Section-3 of Essential Commodities Act, 1955, and reported to the District Collector for confiscation of contravened goods/offended goods in terms of the provisions of Section-6-A of the Essential Commodities Act, 1955. Thereafter, a First Information Report (FIR), shall be filed before appropriate Police Authority for prosecution of the offenders, under the penal provisions of Essential Commodities Act, 1955.

7. It is brought to the notice of all concerned that the Regional Offices of the Textile Commissioner will keep a close watch on the supply of the Hank Yarn made wholly from Cotton both imported as well as indigenous in the textile markets at their respective jurisdictional areas and if any such cotton Hank Yarn with fake/misleading/ deficit/ spurious/duplicate marking are detected, they shall immediately take necessary action as mentioned above without any further notice.

Dr. KAVITA GUPTA, Textile Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.